न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

अपील सं0 37 / 2018

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दगीराम जाति जाट साकिन भैरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार(राजस्व) छानीबड़ी दिनांक 07.09.2018 मुकदमा नम्बर 01 / 2018 अनवानी स्टेट बनाम कृष्ण कुमार को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री हवासिंह पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः– 30.1.2020

अपीलांट ने बअदालत नायब तहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी के राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अधीन पारित निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1. अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी ने अपीलान्ट को दफा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत एक नोटिस दिया कि आप ने रोही मौजा चक न0 4 जे.एस.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एल. के खसरा नम्बर 148, 149, 150 की तादादी 0.0026 हैक्टयर यानि 288 वर्गफुट गैरमुमकिन श्मशान भूमि पर पक्का आवासीय निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/गैरसायल हाजिर अदालत आया एवं अदालत द्वारा आगामी तारीख पेशी सुचित करने बाबत कहा उसके बाद बिना किसी सूचना के बिना कोई विधिवत सुनवायी का अवसर दिये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

3. विवादित भूखण्ड पर 20 वर्षो से अपीलांट काबिज चला आ रहा है एवं रिहायस बनाकर निवास कर रहा है। बी.पी.एल. परिवार से एवं गरीब आदमी है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।
4. निर्णय करने से पूर्व मातहत अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन नहीं किया यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
5. मातहत अदालत ने सर्वे दल से कोई पैमाईश नहीं करवाई गई है व इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व स्टेट की तरफ से साक्ष्य ली जाकर एवं प्रकरण साबित होने पर ही निर्णय करना चाहिये था प्रस्तुत पत्रावली पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है इसलिये उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्त योग्य है।
6. विवादित भूमि आबादी भूमि से चिपती हुई है जिस पर ग्रामवासियों ने रिहायस कर रखी है ना ही ग्राम वासियों द्वारा कभी विवादित भूमि को श्मशान के उपयोग व उपभोग में लिया गया है मातहत अदालत ने विवादित भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानकर निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।
7. अपीलांट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसकी सजा इस प्रकार का निर्णय हो कानूनन् इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नहीं कर कानूनी भूल की है इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है।
8. मातहत अदालत ने साजिसाना तरीके से सिर्फ अपीलांट को नुकसान पंहुचाने के उद्धेश्य से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो किसी भी तरीके से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।
9. अपीलांट रिहायस बनाकर निवास कर रहा है भूखण्ड पर काबिज है चारों तरफ आबादी बसी हुई है बिजली पानी के कनेक्शन है एवं गलिया पक्की बनी हुई है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को बिना सुने राजनैतिक दबाव में आकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।
10. अपीलांट 20 वर्षो से आबादी भूमि मानकर आवासीय निर्माण कर रखा है एवं रिहायस बनाकर अपीलांट निवास कर रहा है उसके बावजूद भी सही पैमाईश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने पर यदि विवादित जगह शमशान भूमि है तो नियमानुसार सरकारी रकम जमा करवाकर विवादित भूखण्ड नियमन करवाने के सहमत है।

11. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है व स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत भी नहीं है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

12. नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/गैरसायल हाजिर अदालत आया एवं अदालत द्वारा आगामी तारीख पेशी सुचित करने बाबत कहा उसके बाद बिना किसी सूचना के बिना कोई विधिवत सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जिसका अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं था अब विवादित भूखण्ड से बेदखल करने की बात कर रहें थे तब अदालत में जाकर निर्णय की जानकारी प्राप्त की तो बताया की आपका निर्णय दिनांक 07.09.2018 को हो चुका है। निर्णय होने की जानकारी होते ही आज बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 07.09.2018 निरस्त करने का आदेश फरमावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया कि विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार छानी निर्णय दिनांक 07.09.2018 नियम विरूद्ध है। सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आबादी से लगती भूमि है कोई पैमाईश नहीं कि गई में बीपीएल परिवार से हू तथा यहा पर 20 वर्षो से काबिज हू व निर्माण कर रखा है आसपास भी आबादी ही बसी हुई है। रिकार्ड में श्मशान है किन्तु हम आबादी में काबिज है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील तो करवा लिया किन्तु आगामी तारीख की जानकारी नहीं दि गई। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की तरफ से राजपेरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख संलग्न है जमाबंदी में श्मशान दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की गई व सुनने का अवसर भी मिला है। ये अतिक्रमी है एवं राहत के योग्य नहीं है।

बहस अधिवक्ता उपयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को दिनांक 20.07.2018 एवं 24.08.2018 को नोटिस जारी कियें गयें है उनमें खसरा नम्बरान में विरोधाभास है। दिनांक 20.07.2018 को जारी नोटिस में खसरा न0 149 व 150 का अंकन है जबकि 24.08.2018 को जारी किये गये नोटिस में 148, 149 व 150 का अंकन है। इससे प्रतित होता है कि भूमि का चिन्हिकरण करने में भूल हुई है क्योंकि खसरा न0 148 बाद में जोड़ा गया प्रतित हो रहा है। इन तीन खसरा नम्बरान का क्षेत्रफल क्रमशः 0.4810 है0, 2.0230है0 व 0.2530 है0 है। जो की अपीलांट के अतिक्रमीत रकबे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से काफी अधिक है और अपीलांट के द्वारा अतिक्रमीत रकबा केवल खसरा न0 148, 149 व 150 का 0.0026हैक्ट0 288 वर्गफुट है। अतः इस सम्बन्ध में कोई मौका रिपोर्ट या पैमाईश सम्बन्धि रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लेकर निर्णय करने में त्रूटि की है क्योंकि 0.0026 है0 रकबा किसी एक खसरा न0 का है या तीनों खसरा न0 का है स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उक्त भूमि आबादी के पास स्थित है एवं अपीलांट जो की बीपीएल परिवार का है एवं उसके द्वारा पक्का निर्माण भी उक्त भूमि पर किया हुआ है। इन परिस्थितियों में इतने कम रकबे का निर्धारण पैमाईश करके एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करके किया जाना हमें उचित लगता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2018 अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित कि जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय खसरा न0 एवं भूमि का स्पष्ट सीमांकन कर एवं अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को टंकित किया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

30/1/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official